संख्या– 1056 /वित्त–3/2003

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव,वित्त,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

वित्त अनुभाग–3

देहरादून::दिनांक 20 अक्टूबर, 2003

विषयः– तदर्थ बोनसः– राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा कैजुअल/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2002–2003 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस का भुगतान।

पठित निम्नलिखितः–

1– शासनादेश संख्या–600/वि0अनु0–3/2002,दिनांक 31 अक्टूबर,2002
2–भारत सरकार,वित्त मंत्रालय,व्यय विभाग कार्यालय ज्ञाप संख्या–14(6)ई/संस्था समन्वय–1/2003,दिनांक 29 सितम्बर,2003

महोदय,

उत्पादकता से जुड़ी किसी भी बोनस योजना के अन्तर्गत न आने वाले उपर्युक्त श्रेणी के कर्मचारियों के लिए बोनस की विस्तृत योजना के अभाव में उक्त शासनादेश दिनांक 31 अक्टूबर,2002 द्वारा राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा कैजुअल तथा दैनिकभोगी कर्मचारियों की वर्ष 2001–2002 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस भुगतान के आदेश जारी किये गये थे।

2– भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उपर्युक्त क्रम संख्या– 2 पर उल्लिखित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 29 सितम्बर,2003 द्वारा वर्ष 2002–2003 के लिए 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर तदर्थ बोनस की स्वीकृति के आदेश जारी किये गये है।

3– उपर्युक्त क्रम संख्या–1 पर उल्लिखित शासनादेश दिनांक 31 अक्टूबर,2002 के क्रम में राज्यपाल महोदय इस प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य

कर्मचारियों तथा राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं,स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के ऐसे कर्मचारियों जिनके वेतनमान का अधिकतम रु 10,500 तक है को वर्ष 2002–2003 के लिए तदर्थ बोनस के रुप में 30 दिन की परिलब्धियों की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते है। इस प्रयोजन के लिए एक माह में औसत दिनों के संख्या 30.4 के आधार पर दिनांक 31 मार्च,2003 को ग्राह्य परिलब्धियों के अनुसार 30 दिन की परिलब्धियाँ आगणित की जायेगी। तदर्थ बोनस का भुगतान निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:–

(1) तदर्थ बोनस की उक्त सुविधा केवल उन अराजपत्रित कर्मचारियों,जिनके पुनरीक्षित वेतनमान का अधिकतम रु 10,500/– तक है, को ही अनुमन्य होगा। वेतनमान रु 6500–10,500 तक के पद पर कार्यरत ऐसे अराजपत्रित कर्मचारियों को जिन्हें 01–01–1996 को उनके पूर्ववर्ती वैयक्तिक प्रोन्नति/अगला वेतनमान का सामान्य पुनरीक्षित वेतनगान वैयक्तिक रुप से अनुमन्य हो चुका है और उनकी प्रास्थिति (स्टेटस) में परिवर्तन नहीं हुआ है, को भी तदर्थ बोनस अनुमन्य होगा। ऐसे कर्मचारी जिन्होने दिनांक 01–01–1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों के बजाय पूर्ववर्ती वेतनमान में बने रहने के लिए विकल्प दिये हो,के सम्बन्ध में पद के वेतनमान का अधिकतम रु 3500/– तक माना जायेगा। परन्तु रु 6500–10,500 (पूर्ववर्ती रु 2000–3500) या इससे कम वेतनमान के राजपत्रित अधिकारियों को तदर्थ बोनस अनुमन्य नहीं होगा।

(2) उक्त सुविधा केवल उन कर्मचारियों को अनुमन्य होगी जो दिनांक 31 मार्च 2003 को सेवा में थे और जिन्होने दिनांक 31 मार्च 2003 को एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली थी।

(3) तदर्थ बोनस की अधिकतम व्यय धनराशि रु 2500/– प्रतिमाह की परिलब्धियाँ पाने वाले कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य राशि तक सीमित रहेगी अर्थात जिन कर्मचारियों की परिलब्धियाँ रु 2500/– से अधिक थी उनके लिए तदर्थ बोनस का आगणन इस प्रकार किया जायेगा मानो उनकी परिलब्धियाँ रु 2500/– प्रतिमाह है।

(4) उपर्युक्त प्रयोजन हेतु परिलब्धियों का तात्पर्य मूल वेतन,वैयक्तिक वेतन,विशेष वेतन जैसा कि क्रमशः मूल नियम 9(21)(1),9(23) तथा 9(25) में परिभाषित है, प्रतिनियुक्ति भत्ता और महंगाई भत्ते से होगा। परन्तु ऐसे कर्मचारी जिन्होने दिनांक 01–01–1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों के बजाय पूर्ववर्ती वेतनमान में ही बने रहने के लिए विकल्प दिया हो, अथवा जिन कर्मचारियों का दिनांक 01–01–1996 से वेतनगान पुनरीक्षण नहीं हुआ है,के लिए शासनादेश संख्या–वे–आ–1–2043/दस–93–39(एम)/93,दिनांक 14 अक्टूबर,1993 तथा शासनादेश संख्या–वे–आ–1–624/दस–39(एम)/93 टी0सी0,दिनांक 16 अगस्त,1995 के अनुसार अंतरिम सहायता क्रमशः रु0 100/– प्रतिमाह की प्रथम किश्त तथा मूल वेतन का 10 प्रतिशत परन्तु कम

से कम रु 100/– प्रतिमाह की द्वितीय किश्त की धनराशि भी परिलब्धियों में जोड़ी जायेगी।

(5) मकान किराया भत्ता,नगर प्रतिकर भत्ता,पर्वतीय विकास भत्ता, परियोजना भत्ता,विशेष भत्ता,शिक्षा भत्ता आदि को परिलब्धियों में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। शासनादेश संख्या–वे–आ–1–774/दस–39 (एम) /93टी0सी0,दिनांक 27 सितम्बर,1996 द्वारा स्वीकृत 'अतरिम सहायता' की धनराशि को भी परिलब्धियों में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(6) रु 2500/– प्रतिमाह की परिलब्धियों पर दिनांक 31 मार्च,2003 को ग्राह्य परिलब्धियों के अनुसार 30 दिन की परिलब्धियाँ तदर्थ बोनस के रुप में रु 2467/– होगीं (रु 2500X 30/30.4=2467.10)

(7) ऐसे कर्मचारी जिनके विरुद्ध वर्ष 2002–2003 में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गई हो, जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरे होने के बाद वर्ष 2002–2003 में कोई दण्ड दिया गया हो, उन्हें तदर्थ बोनस देय नहीं होगा।

(8) इन आदेशों द्वारा स्वीकृत तदर्थ बोनस के आगणित धनराशि को निकटतम एक रुपये में पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात 50 पैसे या उससे अधिक को एक रुपया मानकर और उससे कम को शामिल न करते हुए पूर्णांकित किया जायेगा।

4– कैजुअल/ दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को जिन्होने दिनांक 31 मार्च,2003 को तीन वर्ष अथवा उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्यरत रहे हो, को भी यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे पूर्णकालिक कर्मचारियों को भी जिन्होने दिनांक 31 मार्च,2003 तक एक वर्ष निरन्तर सेवा पूरी नहीं की है परन्तु उक्त तिथि तक कैजुअल/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रुप में (दोनों अवधियों को सम्मिलित करते हुए) तीन वर्ष या उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष 240 दिन कार्यरत रहे हो, यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे मामले में सम्बन्धित कर्मचारी के लिए मासिक परिलब्धियों रु 1200 प्रतिमाह मानी जायेगी और इस प्रकार तदर्थ बोनस की देय धनराशि रु 1200X30/30.4=1184.21 अर्थात रु01184/– (पूर्णांकित) होगी। परन्तु ऐसे कर्मचारी जिनकी वास्तविक परिलब्धियाँ रु 1200 प्रतिमाह से कम है उन्हें तदर्थ बोनस की धनराशि उनकी वास्तविक मासिक परिलब्धियों के आधार पर आंकलित की जायेगी।

5– सभी श्रेणी के कर्मचारियों,जिन्हें उक्त सुविधा अनुमन्य है,को तदर्थ बोनस की अनुमन्य धनराशि का 50 प्रतिशत भाग सम्बन्धित कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा किया जायेगा एवं शेष 50 प्रतिशत का नकद भुगतान किया जायेगा। यदि कोई कर्मचारी भविष्य निधि खाते का सदस्य नहीं है तो उसे उक्त धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रुप में दी जायेगी। जो कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 31 मार्च,2003 के बाद सेवानिवृत्त हो चुके है अथवा दिनांक 31 मई,2004 तक सेवानिवृत्त होने वाले हो ,उनके अनुमन्य तदर्थ बोनस की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

6— बोनस के भुगतान से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–वे0आ0–1–120 / दस–1(एम) / 84,दिनांक 18 जनवरी,1984 के प्रस्तर–1(7),5 तथा 6 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्ध इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत तदर्थ बोनस के विषय में भी यथावत लागू रहेगी।

(7)– उक्त स्वीकृत तदर्थ बोनस को आय–व्ययक के उसी लेखाशीर्षक के नामे डाला जायेगा जिससे सम्बन्धित कर्मचारियों के वेतन व्यय को वहन किया जाता है तथा उसे मानक मद "वेतन" के अर्न्तगत पुस्तांकित किया जायेगा।

भवदीय,

इन्दु कुमार पाण्डे
प्रमुख सचिव।

संख्या–1056 (1) / वि0अनु0–3 / 2003,तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तरांचल, ओबराय गोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2— समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,उत्तरांचल शासन।
3— समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तरांचल।
4— वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक) भारत सरकार ,वित्त मंत्रालय(व्यय विभाग) कमरा नं0 261,नार्थ ब्लाक नई दिल्ली–110001 ।
5— सचिव, राज्यपाल महोदय,देहरादून।
6— सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल,देहरादून।
7— निबन्धक, उच्च न्यायालय, नैनीताल।
8— रिजनल प्राविडेन्ट फण्ड कमीश्नर, कानपुर / देहरादून।
9— संयुक्त निदेशक, कोषागार सिविल कार्यालय, नवीन कोषागार भवन (प्रथम तल) कचहरी रोड, इलाहाबाद तथा अन्य वेतन पर्ची प्रकोष्ठ इरला चेक।
10— निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं,उत्तरांचल, देहरादून।
11— स्थानीय आयुक्त, उत्तरांचल, नई दिल्ली।
12— पुनर्गठन आयुक्त,उत्तरांचल,विकास भवन,सचिवालय परिसर लखनऊ,उ0प्र0।
13— वित्त अधिकारी, उत्तरांचल सचिवालय, देहरादून।
14— उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस शासनादेश की 200 प्रतियाँ मुद्रित कर वित्त विभाग को प्रेषित करना चाहें।
15— निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तरांचल।
16— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(के0सी0मिश्रा)
अपर सचिव।